Legal Aid Defence Counsel

पत्रांक 185/ जिवि०से०प्रा०/चित्रकूट/दिनांक-7 सितम्बर 26, अगस्त, 2022 कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, चित्रकूट।

विज्ञप्ति

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक - 3153 / एसएलएसए-99 / 2019 (हैदर/रि) दिनांकित 25 अगस्त, 2022 के द्वारा प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की कम संख्या को देखते हुये पुनः पत्र संख्या 3309 / एसएलएसए-99 / 2019 (हैदर/रि) दिनांकित 07 सितम्बर, 2022 के द्वारा आवेदन की तिथि बढाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद न्यायालय, चित्रकूट में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की स्थापना की जानी है, जिस हेतु निम्नलिखित पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या
1	चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	01
02	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	01
03	असिस्टैंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	02

चयन से सम्बन्धित विस्तृत विज्ञापन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विस्तृत दिशा-निर्देश में दी गयी पात्रता / योग्यता पूर्ण करने वाले व्यक्ति निर्धारित आवेदन - प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये अपने आवेदन-पत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट के कार्यालय में दिनांक 14.09.2022 की सायं 05:00 PM तक प्राप्त करा सकते हैं।

अन्तिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त के सम्बन्ध में विस्तृत / अधिक जानकारी एवं आवेदन-पत्र के प्रारुप के लिये जनपद न्यायालय की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/Chitrakoot, माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.upslsa.up.nic.in, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट www.nalsa.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक- 07.09.2022
संलग्नकः- यथोक्त।

सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्रकूट

प्रतिलिपिः-

1. सदर नाजिर जनपद न्यायालय चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्रकूट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन का पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्रकूट